



SRU STEELS LIMITED

CIN:-L17300DL1995PLC107286

Registered & Corporate Office:-11/598/1, Chawla Market, Patpar Ganj Road, Jheel Khuranja, Delhi – 110031

Email id: srusteels95@gmail.com; Website:-www.srusteels.in

01 March, 2025

To,

**The Listing Department
BSE Limited
Department of Corporate Affairs
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai — 400 001**

Reference : ISIN - INE425C01017; Scrip Code-540914; Symbol-SRUSTEELS

Subject: Newspaper clipping of Unaudited Financial Results of Quarter ended December 31, 2024.

Respected Sir / Madam,

In compliance with SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirement), Regulation 2015 the company has made advertisement in Newspaper of Standalone Unaudited Financial Results of Quarter ended December 31, 2024 of Sru Steels Limited. In this regard please find enclosed newspaper clipping and oblique.

Thanking You,
Yours Faithfully,

For SRU Steels Limited

**Himanshu Rajeshkumar Vyas
Director
DIN: 10867339**

दिल्ली की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, कहा
घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजा जाए
 महारौली पुरातत्व पार्क में मरम्मत व नए
 निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 फरवरी।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजे जाने के आदेश दिए हैं। शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठियों को मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है और इसमें पूरी सख्ती के साथ काम हो और इन्हें निश्चित कर वापस भेजा जाए। शाह ने शुक्रवार को दिल्ली की कानून व्यवस्था की समीक्षा की पहली बैठक की।

गुहमंत्र न कहा कि दिल्ली में बालादश और रोहिणी चतुर्पैठियों के घुसाने से लेकर उनके दस्तावेज बनवाये और धरा रहने में मदद करने वाले पुरे गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इस बैठक में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गुह विभाग के मंत्री आशीष सुद, पुलिस आयुक्त, समेत संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गुहमंत्र न कहा कि दिल्ली की दोहरे इंजन की सरकार प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं के अनुसार विकसित दिल्ली झ सुरक्षित दिल्ली के लिए दोगुनी गति से काम करेगी। बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए गुह मंत्रालय की नजर लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सब डिवीजन पर भी होगी। गुह मंत्री न संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके

**यमुना में खुलेआम बहाया जा रहा
अपशिष्ट जल, 16 औद्योगिक क्षेत्रों
में शोधन संयंत्र नहीं : हाई कोर्ट**
नई दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा)।

नई दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के 16 औद्योगिक क्षेत्रों में सीवेज जल शोधन संयंत्रों नहीं होने पर आश्चर्य जताया और कहा कि बिना शोधन के अपशिष्ट जल को यमुना नदी में खुलेआम प्रवाहित किया जा रहा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमोहन पी एस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि स्थिति 'काफी गंभीर' और 'अत्यंत खराब' है, जो दिल्ली के सभी 33 औद्योगिक क्षेत्रों में साझा अपशिष्ट शोधन संयंत्र (सीईटीपी) लगाने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

पीठ ने कहा कि वास्तव में, दिल्ली के 16 औद्योगिक क्षेत्रों में कोई सीईटीपी नहीं है। यह चौकाने वाला खुलासा है। इन 16 क्षेत्रों में अपशिष्ट बिना किसी शोधन के खुलेआम बहाया जा रहा है। पीठ ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी स्थापित करने के निर्देश देते संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि सीईटीपी के कामकाज पर दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआइआइसी) द्वारा दाखिल हलफनामे से बेहद दयनीय स्थिति का पता चलता है।



नवयुग स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी

मुख्य कार्यालय: एनडीएमसी स्कूल ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज
तुपकल रोड, नई दिल्ली-110001

एनडीएमसी के अंतर्गत नवयुग स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए प्रवेश सूचना

एनडीएमसी क्षेत्र के निवासियों हेतु नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में स्थित नवयुग स्कूलों की सभी शाखाओं में शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश खुले हैं:

1. **कक्षा K.G. और I** – प्रवेश ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अभिभावक 11 नवयुग स्कूलों में कक्षा के लिए 27.02.2025 से 16.03.2025 तक एनडीएमसी वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2. **कक्षा II से VIII** में प्रवेश व्यवस्थित विद्यालय स्तर पर तभी किया जाएगा, जब संबंधित विद्यालय में किसी विशेष कक्षा में रिक्तियां उपलब्ध हों। अभिभावक रिक्तियों का पता लगाने के लिए संबंधित विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं और रिक्तियों की उपलब्धता को आधार पर आवेदन कर सकते हैं। इन कक्षाओं में प्रवेश का कार्यक्रम इस प्रकार है:
 - क. **कक्षा II, III, IV और VII** – 04.04.2025 से 19.04.2025 (वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात)
 - ख. **कक्षा V, VI और VIII** – 02.05.2025 से 06.05.2025 (पुनः परीक्षा के पश्चात, यदि कक्षा V और VII में अपेक्षित हो)
3. **कक्षा IX** में, किसी भी योग्य मामले को छोड़कर कोई प्रवेश नहीं होगा, जो भी यदि संबंधित विद्यालय में कोई रिक्तियां हों।
4. **कक्षा XI** में कक्षा X बोर्ड के परिणाम की घोषणा के पश्चात प्रवेश दिया जाएगा।
5. **कक्षा X और XII** में कोई नया प्रवेश नहीं होगा।

*यह नवयुग स्कूल, सरोजिनी नगर में कक्षा VI और VII में प्रवेश के लिए लागू नहीं होगा, जिसके लिए प्रवेश परीक्षा – NSSNET-2025 के माध्यम से प्रवेश किया जा रहा है।

विस्तृत जानकारी हेतु, कृपया एनडीएमसी की वेबसाइट www.ndmc.gov.in या स्कूल की वेबसाइट देखें।

हस्ता./-

निदेशक (शिक्षा)

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
.....ਸਰਾਂਸੇ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
(A GOVERNMENT BANK)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूति क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, को बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूति क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर "जहाँ है वहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

[illegible]

सं.	राज्य का नाम खाते का नाम कर्मदार/जमानतियों का नाम तथा पता खाता	जयल तस्वीतों का विवरण बंधककर्ता/स्वामी का नाम [सम्पत्ति (यों) के बंधककर्ता]	(B) तक बकाया राशि (C) संकेती अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि (D) कब्जा का प्रकार (संकेतिक/भौतिक/रचनात्मक)	(B) ईएमपी (C) संविदा वृद्धि राशि	इ-रजिस्ट्रार की तिथि/समय	के रजान में रजगणों का विवरण	प्राधिकारिता का नाम एवं सम्पर्क नं.
1.	जोनल सस्त्र दिल्ली मैसर्स श्री कालका देवी एजुकेशन ट्रस्ट 1. मैसर्स श्री कालका देवी एजुकेशन ट्रस्ट 229-सी, एसएफएस, शेख सराय - का नई दिल्ली - 110017 साथ ही: कीस्टोन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ग्राम पिलोद (सूरजगढ़), लोहारू, चैरावा - झुंझुनू राज्य राजमार्ग, जिला झुंझुनू, राजस्थान - 333029 2. श्री पुनीत भागचंदानी पुत्र श्री के. भागचंदानी, 229-सी, एसएफएस, शेख सराय - I, नई दिल्ली - 110017 3. श्री दीपक भागचंदानी पुत्र श्री के. भागचंदानी, 229-सी, एसएफएस, शेख सराय - I, नई दिल्ली - 110017 4. श्रीमती. लता भागचंदानी पत्नी श्री के. भागचंदानी, 229-सी, एसएफएस, शेख सराय - I, नई दिल्ली - 110017 5. श्री के. भागचंदानी पुत्र स्वर्गीय श्री बी.एम. भागचंदानी, 229-सी, एसएफएस, शेख सराय - I, नई दिल्ली - 110017	चिक्री विलेख के अनुसार, राजस्थान के जिला झुंझुनू के गांव पिलोद, "कीस्टोन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस" की भूमि तथा भवन, खसरा संख्या 34/3, 34/4, 35, 36, 37, 40/1, 40/2 में स्थित, कुल माप क्षेत्रफल 5.05 हेक्टेयर, मैसर्स श्री कालका देवी एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पर।	A) 08.09.2017 B) रु. 16,26,75,269.02/- (तिथि 31.08.2017 तक) व्याज सहित, बैंक शुल्क एवं वस्तुी हेतु बैंक द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क भी शामिल C) 26.08.2019 D) संकेतिक कब्जा	A) रु. 25.4 करोड़ B) रु. 2.54 करोड़ C) रु. 5,00,000/-	10.04.2025 11:00 बजे पूर्व। से 04:00 बजे अप. तक	ज्ञात नहीं	पवन सिंह यादव सोबाइल नं. 8595816855

१-नीलामा बिक्का के साक्षरता नियम एवं शर्त : बिक्का प्रांतीय हित (एक्ट) नियम 2002 में निम्नोक्त नियम एवं शर्तों तथा आर्गनाइजेशनल चार्ट के अन्तर्गत दिये गए : 1. सम्पूर्ण बच्चों को बिक्का "बहाल हो जस हो", "जो हो वहां हो" तथा "जो कुछ हो वा वहां हो" आधार पर जो का रहा हो 2. यहाँ अपर अनुसूचित में निम्नोक्त प्रांतिय आलस्य के विवरण आयुक्त प्रांतीयकार का नियतन सूचना के आधार पर बताया गइ हो, किन्तु आयुक्त प्रांतीयकार इसे उद्घोषित में किसी उचित, गुलतनवी अथवा विलोपन के लिए उपलब्ध नहीं होता 3. प्रतिभूत परिसरोंको को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। पहली बोली आरक्षित मूल्य से अधिक पर शुरू होनी चाहिए। 4. बिक्को उपरोक्त निर्दिष्ट नीलामी को तिथि एवं समय पर वेबसाइट <https://Baanknet.com> पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्तक्षरी द्वारा को जाएगी। 5. बिक्को के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया <https://Baanknet.com> तथा <https://ebkravin.in> देखें।

सरफसा आधानयम, 2002 क नियम 8(6) क तहत सावाधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 28.02.2025 स्थान : नई दिल्ली आधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक